

जिला यूनियन..... में स्थित वनोपज समितियों के विभिन्न समूहों से निर्दिष्ट गोदामों तक तेंदुपत्ता परिवहन हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तेः-

1. जिला यूनियन की प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/समितियों के विभिन्न परिवहन समूहों से निर्दिष्ट गोदामों तक संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार, तेंदुपत्ता की जिला यूनियन की ओर से परिवहन हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता व्यक्तियों/पक्षों से मुहरबंद निविदा/निविदाएं आमंत्रित की जाती है। परिवहन का प्रारंभ सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार करने की सूचना मिलने पर किया जावेगा।
2. प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग निविदा देनी होगी।
3. अ- (1) केवल पंजीकृत फर्म या व्यक्ति अथवा एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से जिनके नाम पर कम से कम एक ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप जो अच्छी हालत में हो, का पंजीयन उनके/उसके नाम का हो निविदा दे सकते हैं। निविदाकार को प्रत्येक 2500 मानक बोरा अथवा 3000 वास्तविक बोरा के लिए कम से कम एक ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप लगाना अनिवार्य है। निविदाकार द्वारा अन्य व्यक्ति/फर्म द्वारा लिखित वचन-पत्र देने पर ऐसे फर्म/व्यक्ति के ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप भी परिवहन में लगाया जा सकेगे। परंतु ऐसा वचन-पत्र निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है।
अ- (2) फर्म या कम्पनी द्वारा निविदा देने पर फर्म की ओर से करार करने आदि के संबंध में पावर ऑफ एटर्नी निविदा के साथ लगाना अनिवार्य है।
ब - प्रत्येक निविदा के साथ प्रत्येक वाहन (जो परिवहन में लगाये जावेंगे) के पंजीयन उपयुक्तता का प्रमाण पत्र मूल रूप से या प्रमाणीकृत प्रति के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
स - प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप होना अनिवार्य है। एक ही ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप पर दूसरे समूह की निविदा स्वीकृति मान्य नहीं की जावेगी। यदि एक निविदाकार द्वारा एक से अधिक समूह के लिए न्यूनतम् निविदा दी जाती है और उसके पास उतने ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप नहीं है, तो उसे खोले जाने के तुरंत बाद यह वचन-पत्र देना होगा कि, वह समस्त समूहों में अलग-अलग ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप लगायेगा, अन्यथा एक के अतिरिक्त शेष निविदायें स्वीकृति नहीं की जा सकेगी।
द - यदि परिवहन में लगाये गये ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप के बदले दूसरा ट्रक/ट्रेक्टर/पिकअप लगाना हो, तो ऐसा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन की अनुमति पर ही किया जा सकेगा।
4. अ - निविदा संलग्न परिशिष्ट - 2 फार्म में होगी। यह निविदा फार्म संबंधित प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन के कार्यालय से सील लगवाकर रूपये 100/- (सौ रूपये) मात्र शुल्क जमा करने पर ही प्राप्त किया जा सकेगा।
ब - निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे जिस समूह का निविदा देना चाहते हैं, उसकी स्थिति, गोदाम से दूरी मार्ग जहां परिवहन होगा एवं अन्य संबंधित परिस्थितियों का स्वयं निरीक्षण, अवलोकन कर संतुष्ट होकर ही निविदा दें।

स - निविदा कार्य में तेंदूपत्ता के बोरों की लोडिंग तथा अनलोडिंग का व्यय सम्मिलित रहेगा। परिवहन दरें प्रति वास्तविक बोरा के लिये प्रत्येक परिवहन समूह समस्त संग्रहण केन्द्र/केन्द्रों से गोदाम तक की सम्पूर्ण दूरी के लिये होंगी। दरों में पैसे को विभाजित नहीं किया जावेगा।

5. अ - प्रत्येक निविदा के साथ निम्नानुसार सहपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
 1. M.D.C.G.State MFP (T&D) Co-Fed.Ltd. के पक्ष में एवं संबंधित प्रबंध संचालक जिलना वनोपज यूनियन जहाँ पर की परिवहन समूह स्थित है उस मुख्यालय की स्थानीय शाखा में देय, किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया रूपये 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक बयाने की राशि के रूप में।
 2. निविदाकार का करारनामा, हस्ताक्षरशुदा (जो परिशिष्ट-3 पर है)।

अ - ऐसा वचन-पत्र की निविदाकार परिवहन में लगाये जाने वाले ट्रक/ट्रैक्टर/पिकअप की बाड़ी पर हरे रंग की पटीका के बीच में, निम्न अंकित कर लिखायेगा।

“जिला वनोपज यूनियन के लिये आरक्षित”

ब - असफल निविदाकार को बयाने की राशि वापिस कर दी जावेगी तथा सफल निविदाकार की बयाने की राशि नीचे शर्त क्रमांक-6 (ब) के अंतर्गत जमानत के रूप में समायोजित की जावेगी।
6. अ - सफल निविदाकार को, निविदा स्वीकृति के सूचना मिलने के 05 दिन के अन्दर निर्धारित प्रपत्र पर करारनामा निष्पादित करना होगा।

ब - निविदाकार को कुल अनुमानित परिवहन व्यय की 20 प्रतिशत के बराबर की राशि, जमानत के तौर पर बैंक ड्राफ्ट/डिपॉजिट, एटकाल, ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

स - बयाने के रूप में जमा रूपये 10,000/- के समायोजन (शर्त-5) (अ) (1) के अनुसार के पश्चात् यदि निविदाकार चाहे तो जमानत की शेष राशि, उसके/उनके देयक से 30 प्रतिशत तक काटी जाती रहेगी जब तक कि संपूर्ण जमानत की राशि जमा न हो जावे।
7. अ - निर्धारित करारनामा की प्रति संबंधित प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में देखी जा सकती है।

ब - करारनामे के फार्म की कोरी प्रतियों को पुनरीक्षण की शर्त के अधीन होगी
..... प्रबंध संचालक, जिला वनोपज के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
8. यदि निविदाकार, करारनामा निष्पादित करने में असफल होता है तो, निविदा निरस्ती योग्य होगी और इस प्रकार निरस्तीकरण के फलस्वरूप शर्त क्रमांक 5 (अ) (1) के अंतर्गत जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. प्रबंध संचालक, द्वारा ठेके की अवधि में, संलग्न परिशिष्ट -1 में दर्शायें परिवहन समूहों में बताई गई मात्रा, परिवहन हेतु उपलब्ध करायी जावेगी। यह मात्रा संभावित है और जो भी

मात्रा संग्रहण के पश्चात् उपलब्ध कराई जावेगी, उसका संपूर्ण परिवहन निविदाकार द्वारा जमा किया जावेगा।

10. अ - सफल निविदाकार को समूह में उपलब्ध कराये गये समस्त तेंदूपत्ते के बोरों का परिवहन दिनांक 10 जून 2021 तक करना होगा। अगर सफल निविदाकार तेंदूपत्ता परिवहन के लिए यूनियन या उसके कर्मचारी से यह सूचना प्राप्त होने की, बोरे परिवहन के लिए तैयार है, के 24 घंटे के अंदर पर्याप्त वाहन नहीं लगता है तथा 72 घंटे के अंदर सूचना मात्रा का परिवहन पूर्ण नहीं करता है तो प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत दर से 33.5 प्रतिशत तक अधिक दर भुगतान कर, परिवहन करा सकेंगे और यह अतिरिक्त व्यय, निविदाकार के देयकों/जमानत की राशि से वसूली योग्य होगी।
- ब - परिवहन के प्रत्येक माग्र चेकिंग नाकों से गुजरते हैं और निविदाकार के लिये यह अनिवार्य है कि वह रास्ते में पड़ने वाले समस्त नाकों पर तेंदूपत्ता की चेकिंग करायें।
11. अ - परिवहन ठेकेदार को वन मार्गों पर वाहन चलाने के लिये यह पथकर के रूप में रूपये 250/- (दो सौ पचास रुपये केवल) प्रत्येक तिमाही के लिये या प्रत्येक खेप के लिए रूपये 10/- (रुपये दस) दोनों मार्गों के लिए प्रति ट्रक भुगतान, वन विभाग को करना होगा।
- ब - टोल टैक्स एवं चुंगी, जहां लगती है परिवहन ठेकेदार द्वारा चुकाई जावेगी।
12. अ - निविदा सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में भरकर निम्नलिखित पते पर भरकर सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाना चाहिए।

तेंदूपत्ता परिवहन के लिये निविदा

जिला वनोपज यूनियन

परिवहन समूह क्रमांक

वनोपज सहकारी समिति का नाम

इकाई क्रमांक व नाम

पता :-

मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

.....

ब - निविदायुक्त लिफाफा स्वयं अथवा पावती के पंजीकृत डाक से मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक, बिलासपुर वृत्त, भक्त कंवरराम गेट, सिंधी कालोनी रोड, जरहाभाटा बिलासपुर (छ.ग.) कार्यालय अथवा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित बिलासपुर, मरवाही, कोरबा, कटघोरा, रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा में प्रस्तुत करना होगा, जिस अल्प अवधि निविदा को मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक, बिलासपुर वृत्त, द्वारा जारी संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित समय व दिनांक तक संबंधित निर्धारित

कार्यालय में पहुंच जावे । इस तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

13. अ - प्राप्त निविदायें, दिनांक 22 अप्रैल 2022, 26 अप्रैल 2022, 29 अप्रैल 2022 को अपरान्ह को 2.00 बजे, मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक, बिलासपुर वृत्त के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदाकार निविदा खुलने के निर्धारित समय पर उपस्थित रहना चाहे, तो उपस्थित रह सकते हैं ।

ब - यदि निविदा के साथ बयाने की राशि रु. 10,000/- (शर्त क्रमांक-5) (अ) (1) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न करने) तथा ट्रक के स्वामित्व का आर.टी.ओ. का प्रमाण पत्र शर्त क्रमांक - 3 (अ) (ब) के अनुसार दस्तावेज तथा हस्ताक्षर युक्त निविदा करारनामा संलग्न नहीं किया गया, तो निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । यह बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के नाम से तैयार कर संलग्न करें ।

14. अ - यदि किसी समूह के लिए एक ही दर की एक से अधिक निविदा प्राप्त होती है तो मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निविदा खुलने के तत्काल बाद उपस्थित उन निविदाकारों को अन्य निविदा दर कम करने की अनुमति दी जावेगी और न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृति के लिये विचार किया जावेगा । यदि ऐसे निविदाकार अपनी दर कम करने से इंकार करते हैं तो सिक्का उछालकर विजयी निविदाकार की निविदा स्वीकृत करने पर विचार किया जावेगा ।

15. अ - सफल निविदाकार की परिवहन के दौरान हुई तेंदूपत्ते की क्षति की भरपाई, जैसा कि प्रबंध संचालक निर्धारित कर, करनी होगी । प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

ब - परिवहन ठेकेदार को लोडिंग, अनलोडिंग या परिवहन के दौरान या अन्य विधि से किसी क्षति (संपत्ति या व्यक्तिगत) का कोई दावा मान्य नहीं होगा । फिर भी ठेकेदारों को यह सलाह दी जाती है कि केवल पूर्ण रूप से बीमा किये हुये ट्रकों को ही तेंदूपत्ता परिवहन कार्य में लगाये परिवहन किये जा रहे तेंदूपत्ते के बोरों की सुरक्षा हेतु कैरियर्स लीगल लायबिलिटी बीमा पॉलिसी स्वीकार करने के तुरंत बाद लें ।

स - गोदाम में तेंदूपत्ता प्राप्त होने पर किया गया माप, अंतिम एवं परिवहन देयक के लिये मान्य होगा ।

द - परिवहनकर्ता के द्वारा गोदाम के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त प्राप्ति रसीद के साथ परिवहन देयक प्रस्तुत करने पर प्रबंध संचालक द्वारा देयक का भुगतान किया जावेगा । ऐसी स्थिति में जहां अंतिम भुगतान को समय पर देना संभव न हो, ठेकेदार द्वारा परिवहन के पक्के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अनुमानित परिवहन राशि का 28 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकेगा ।

ई - परिवहन ठेकेदार को समस्त तेंदूपत्ता इस प्रकार की तारपोलिन से ढककर परिवहन करना अनिवार्य होगा ताकि आकस्मिक वर्षा से तेंदूपत्ता के बोरों को भीग जाने से क्षति न हो । अगर परिवहन के दौरान ट्रक को तारपोलिन से नहीं ढका जाता है तो प्रबंध संचालक, जिला वनोपज यूनियन इस प्रकार के प्रत्येक उल्लंघन के लिए रूपये 1000/- की राशि अधिरोपित कर सकेंगे ।

16 मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक को किसी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताएं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

नोट :- यह हिन्दी अनुवाद है । मूल शर्त अंग्रेजी भाषा में है । विवाद होने की दशा में अंग्रेजी भाषा की शर्त ही मान्य होगी ।


मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक
~~OM~~ बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र का मूल्य 100/- वसूल की गई
परिशिष्ट-II

तेन्दुपत्ता बोरो के परिवहन के लिये निविदा पत्र

मै हम हमारे ट्रक/ट्रकों से
जिला यूनियन अंतर्गत वनोपज सहकारी समिति/समितियों के माध्यम से संग्रहित तेन्दुपत्ता के परिवहन
समूह क्रमांक परिक्षेत्र समिति
..... इकाई क्रमांक व नाम में विभिन्न संग्रहण केन्द्रों अस्थायी केन्द्रों पर
संग्रहित एवं बोरे में भरती किए हुए तेन्दुपत्ता की निर्दिष्ट गोदाम/अस्थाई गोदाम तक परिवहन करने
के लिये ।

1. रूपये (अंकों में) रूपये (शब्दों में)
प्रति वास्तविक बोरा की निविदा देता हूँ/देते हैं।
2. मै/हम निविदा सूचना की शर्तों के
तारतम्य एवं उक्त समिति में यह निविदा और निविदाकार का करारनामा प्रस्तुत कर
रहा हूँ/रहे हैं। निविदाकार का करारनामा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित
है ।

- संलग्न: 1. रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक
दिनांक बैंक
रूपये के लिये
2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के प्रमाण पत्र दिनांक को सत्यप्रतिलिपि
और कंडिका -3 “ब” के अनुसार उपयुक्त प्रमाण पत्र ।
3. निविदा सूचना की कंडिका-“3” के अनुसार वचन पत्र ।
- डाक का पूरा पता
पूरा नाम
पिता का नाम
गांव/कस्बा
डाकखाना
जिला
मोबाइल/फोन नं.

निविदाकार के हस्ताक्षर

ANNEXURE-I

HAULAGE TENDERERS AGREEMENT

[Condition 5(a) (ii) of the Tender Notice]

This Agreement made this the day of month year between the Governor of Chhattisgarh acting through the Conservator of Forest & Ex-Officio General Manager Federation Bilaspur Circle (hereinafter called the Governor, which expression shall include his successors in office) of the one past and Shri Son of village Station District. (Hereinafter called the Tenderer, which expression shall include his heirs, successors representative and assigns) on the other part.

WHEREAS THE Governor desires to give Haulage Contract of Group No..... and Unit No. of District Union by tender as per Conservator of Forests Tender Notice No. (hereinafter called the Tender Notice) in respect of various haulage contract groups of Bilaspur Circle/of District Union of Chhattisgarh.

And Whereas the Governor desires the prospective tenders to execute an Agreement Bond before submission of Tender to abide by the conditions aforesaid Tender Notice.

Now these presents witness and the Parties here to mutually here by agree as follows-

1. The Tenderer (s) hereby declare that he/they has have read and understood all the conditions of the tender notice and the condition of the agreement Bond appended to the Tender Notice and he/they agree to abide by the same.
2. This tender shall be valid for a period of 45 days from the date of opening of the tender In case of withdrawal of the offer by the Tenderer before the expiry of this validity, the EMD shall be forfeited to the Governor and the Tenderer may be black listed.
3. This Agreement shall always be subjected to the terms and conditions of the Tender Notice, all of which shall form part of it and shall be deemed to form part of this Agreement and shall be construed to have been specifically provided for in these presents,

IN WITNESS WHERE OF the parties here to have put their hands on the day and year first above written, In the presence of Witness.

[1]
.....

In the present of Witness -
(1) Signature

Full Address

Signature of
acting for and on behalf of the
Governor of Chhattisgarh

Signature of the Tenderer -

Name -

Father's Name

Village/Town-

Post -